



2026:AHC:64781

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

सिविल विविध पुनर्विलोकन आवेदन दोषपूर्ण संख्या - 83/2026

कमलेश कुमार

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : अखिलेश कुमार, अमरदेव सिंह, कुंवर राजेश्वर विक्रम

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 32

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

विलंब क्षमा आवेदन संख्या 1/2026 पर आदेश।

1. यह क्षमा आवेदन प्रस्तुत करने में हुई देरी की माफी के लिए एक आवेदन है।
2. पुनर्विलोकन याचिका दायर करने में हुई देरी का स्पष्टीकरण संतोषजनक है। अतः, इसे क्षमा किया जाता है। तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

पुनर्विलोकन आवेदन पर आदेश

1. पुनर्विलोकन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अमरदेव सिंह और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता डॉ. संतोष कुमार शुक्ला को सुना।
2. समीक्षाधीन आदेश दिनांक 07.10.2025 नीचे दिया गया है:

"1. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश मिश्रा को सुना गया।

2. प्रस्तुत मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के लिए वित्तीय स्वीकृति दिनांक 13.06.2001 को प्रदान की गई थी और यह स्वीकार्य है कि उसके बाद से, याचिकाकर्ताओं को राज्य कोष से वेतन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मिल रहा है। इसलिए दिनांक 20.04.1999 (नियुक्ति की तिथि) से 12.06.2001 (स्वीकृति से पूर्व) तक के वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य कोष पर नहीं डाली जा सकती है, और इसके लिए याचिकाकर्ताओं को, यदि कोई हो, तो अपना-अपना दावा स्कूल की संबंधित प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में, इस याचिका का निस्तारण इस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत संबंधित प्रबंधन समिति के समक्ष उठा सकें।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि यदि ऐसी प्रार्थना पर विचार किया जाए।

5. उपरोक्त को देखते हुए, इस याचिका का निस्तारण इस टिप्पणी के साथ किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ताओं को ऊपर उल्लिखित अवधि के वेतन के संबंध में कोई शिकायत है, तो उन्हें संबंधित प्रबंधन समिति से संपर्क करके अपना दावा प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है।”

3. इसके बाद, पुनर्विलोकन आवेदन/याचिकाकर्ता ने विशेष अपील संख्या 1105/2025 दायर करके डिवीजन पीठ का रुख किया, जिसे वापस ले लिया गया मानते हुए निस्तारित कर दिया गया; साथ ही, याचिकाकर्ता को उचित आवेदन के साथ रिट न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। एक डिवीजन पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2025 नीचे दिया गया है:

“1. वर्तमान अंतः-न्यायालय अपील दिनांक 07.10.2025 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा रिट-ए संख्या 15090 वर्ष 2025 का निस्तारण किया गया था। उक्त आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता, जो उक्त याचिका में याचिकाकर्ताओं में से एक था, को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वह अपनी नियुक्ति के अनुमोदन से पूर्व की अवधि के वेतन के अपने दावे के संबंध में प्रबंधन के समक्ष संपर्क कर सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने संक्षिप्त दलीलें देने के बाद, इस अपील को वापस लेने की प्रार्थना की है और साथ ही अपीलकर्ता को यह स्वतंत्रता देने का अनुरोध किया है कि वह उचित आवेदन के साथ रिट न्यायालय में जा सके; क्योंकि अपीलकर्ता का पक्ष यह है कि आदेश दिनांक 7.9.2025 के प्रस्तर 3 में दर्ज किया गया अनुरोध अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया था, और उसे गलती से दर्ज कर लिया गया था।

3. अपील को, यथा-प्रार्थित स्वतंत्रता के साथ, वापस लिया गया मानकर निस्तारण किया जाता है।”

4. पुनर्विलोकन -आवेदक/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता का वह दावा, जो दिनांक 20.04.1999 से 12.06.2001 तक के वेतन से संबंधित है अर्थात् अनुमोदन से पूर्व की अवधि का दावा वह पहले ही निस्तारित हो चुका था और याचिकाकर्ता की पिछली याचिका दिनांक 13.06.2001 के एक पत्र के आधार पर वापस ले ली गई थी, जिसके द्वारा प्रबंधन समिति द्वारा प्रस्ताव दिनांक 20.04.1999 के माध्यम से की गई याचिकाकर्ता की नियुक्ति को वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया था।

5. पुनर्विलोकन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे यह निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.04.1999 से 12.06.2001 तक के वेतन के बकाया के संबंध में संबंधित प्रतिवादी से संपर्क किया है। इस पर विचार किया गया और संबंधित कॉलेज के प्रधानाचार्य ने दिनांक 29.04.2017 के पत्र के माध्यम से संबंधित जिला स्कूल इंस्पेक्टर को सूचित किया, जिसके द्वारा उक्त अवधि के वेतन भुगतान के लिए मंजूरी दी गई थी। हालाँकि, बाद में इसे अस्वीकार कर दिया गया, जिसे इस वर्तमान याचिका में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई।

6. पुनर्विलोकन -आवेदक/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनर्विलोकन आवेदन में उल्लिखित आधारों का आगे उल्लेख करते हुए कहा कि, एक बार जब कॉलेज के प्रधानाचार्य ने याचिकाकर्ता के पक्ष में सकारात्मक अनुशंसा कर दी है, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। अतः समीक्षाधीन आदेश में इस हद तक संशोधन किया जाए कि याचिकाकर्ता को संबंधित 'जिला विद्यालय निरीक्षक' के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। साथ ही,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि याचिकाकर्ता को संबंधित 'प्रबंध समिति' से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।

7. मैंने उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

8. पुनर्विलोकन के दायरे के संबंध में विधि को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **संजय कुमार अग्रवाल बनाम राज्य कर अधिकारी और अन्य, एआईआर 2023 एससी 5636** मामले में पुनः दोहराया गया है, और इसका प्रासंगिक प्रस्तर नीचे दिया गया है:

“16. उपर्युक्त निर्णयों का सार यह है कि: -

(i) कोई निर्णय, अन्य बातों के अतिरिक्त, पुनर्विलोकन के लिए ग्राह्य होता है, यदि अभिलेख के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से कोई स्पष्ट त्रुटि या ऐसा दोष विद्यमान हो, जो अभिलेख के अवलोकन मात्र से परिलक्षित होता हो।

(ii) न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय अंतिम होता है, और इस सिद्धांत से विचलन केवल तभी उचित है, जब पर्याप्त और बाध्यकारी प्रकृति की परिस्थितियाँ ऐसा करना आवश्यक बना दें।

(iii) कोई ऐसी त्रुटि जो स्वतः स्पष्ट न हो और जिसे तर्क-प्रक्रिया द्वारा पता लगाना पड़े, उसे शायद ही 'अभिलेख के मुख पर स्पष्ट त्रुटि' कहा जा सकता है, जिसके आधार पर न्यायालय अपनी पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सके।

(iv) सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, किसी त्रुटिपूर्ण निर्णय को "पुनः सुनने और सुधारने" की अनुमति नहीं है।

(v) पुनर्विलोकन याचिका का उद्देश्य सीमित होता है और इसे "छद्म अपील" के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(vi) पुनर्विलोकन की आड़ में, याचिकाकर्ता को उन प्रश्नों को पुनः उठाने और उन पर पुनः बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिन पर पहले ही विचार किया जा चुका है और जिनका निर्णय हो चुका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(vii) अभिलेख के समक्ष परिलक्षित त्रुटि ऐसी होनी चाहिए जो अभिलेख के अवलोकन मात्र से ही स्वतः प्रकट हो जाए तथा जिसके निर्धारण हेतु किसी विस्तृत या दीर्घ तर्क-वितर्क की आवश्यकता न पड़े, विशेषतः ऐसे बिंदुओं पर जहाँ युक्तिसंगत रूप से दो भिन्न मत संभव हों।

(viii) यहाँ तक कि विधि में परिवर्तन अथवा किसी समक्ष या वृहत्तर पीठ का बाद का निर्णय/अभिमत भी, अपने आप में, पुनर्विलोकन का आधार नहीं माना जा सकता।

9. याचिकाकर्ता की नियुक्ति को दिनांक 13.06.2001 को वित्तीय मंजूरी दी गई थी, जिसमें यह विशेष टिप्पणी की गई थी कि वेतन का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा और यह स्वीकार्य है कि उक्त आदेश को कभी भी इस हद तक भी चुनौती नहीं दी गई कि क्या इसे नियुक्ति प्रदान किए जाने की तारीख से प्रभावी होना चाहिए था। वैसे भी, वित्तीय मंजूरी उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को इसे पारित किया गया था। न्यायालय के समक्ष विधि का कोई विपरीत पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. जहाँ तक प्रधानाचार्य के बाद के पत्र पर भरोसा करने का सवाल है, उसका आशय केवल यह था कि याचिकाकर्ता ने वित्तीय मंजूरी की तारीख से पहले भी काम किया है। उसे वित्तीय मंजूरी दिए जाने की तारीख से पहले की तारीख से वेतन स्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसे कभी चुनौती नहीं दी गई।

11. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय द्वारा एक संक्षिप्त आदेश दिनांक 07.10.2025 को पारित किया गया था, जिसमें उपरोक्त विशिष्ट तिथियों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया था कि दिनांक 20.04.1999 से 12.06.2001 तक वेतन भुगतान की कोई भी देनदारी केवल प्रबंधन समिति की होगी, न कि राज्य राजकोष की और याचिकाकर्ता, पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई भी उचित कारण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, क्योंकि अभिलेख के अवलोकन से ही उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

12. यह पुनः दोहराया जाता है कि आदेश दिनांक 13.06.2001 को, उस तारीख के संबंध में भी चुनौती नहीं दी गई थी जिस तारीख से वह लागू हुआ था, साथ ही, ऐसा कोई भी बाद का



साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि राज्य ने किसी भी समय राज्य के राजकोष से वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया हो।

13. जहाँ तक आदेश के प्रस्तर 3 में संदर्भित, विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर याचिकाकर्ता को दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह स्वतंत्रता याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के बयान के आधार पर नहीं दी गई है, बल्कि यह ऊपर संदर्भित तथ्यों और न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए दी गई है।

14. उपरोक्त को देखते हुए, पुनर्विलोकन का कोई मामला नहीं बनता है। तदनुसार, उपरोक्त स्पष्टीकरण के साथ पुनर्विलोकन आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी)

28 मार्च, 2026

ए.के.